

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम बेंरा तहसील बनेड़ा

:: मूल वाद मे अन्तिम डिक्री ::

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी — श्री रतन लाल रेगर

(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 11/2015 राजस्व वाद

अनवान

1. बजरंग पिता मूलचन्द ढोली उम्र वयस्क निवासी रायसिंहपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0

— (वादी)

बनाम

1. शंकर लाल पिता पन्नालाल बलाई उम्र वयस्क निवासी रायसिंहपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0

2. राज राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

—(प्रतिवादी गण)

उपस्थित —

1. श्री बजरंग ढोलीवादी स्वयं
2. परोकार सरकार..... विपक्षी क्रम 02

दिनांक— 15.06.2018

राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 कैंप मुकाम बेंरा में वादी तथा राज्य पक्ष की और से तहसीलदार बनेडा शिविर के दौरान उपस्थित। आज दिनांक 15.06.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादपत्र निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती हैं। वादी का वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण से अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत डिक्री विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम बेंरा पटवार क्षेत्र बेंरा तहसील बनेडा स्थित खतौनी संख्या 563 किता 2 कुल रकबा 04-16 बीघा भूमि का शिविर मे तैयार कराया जाकर प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है—

1 बजरंग पिता मूलचन्द ढोली सा. रायसिंहपुरा सादेह खातेदार (वादी)

आ0न0	रकबा	लगान
2294/1	00-06	0.33
2296/1	02-02	2.31
कुल 02	रकबा 02-08 बीघा	2.64

2 शंकरलाल पिता पन्ना बलाई सा. दाथंल जिला भीलवाडा (विपक्षी संख्या 01)

आ0न0	रकबा	किस्म/लगान
2294	00-05	0.28
2296	02-03	2.37
कुल 02	रकबा 02-08 बीघा	2.65

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

उपरोक्तानुसार भूमि में वादी व प्रतिवादी क्रम 01 के मध्य क्रम संख्या 1 से 2 अनुसार रहेगा। तथा साथ ही प्रतिवादी क्रम 01 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 15.06.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 के मुकाम बेंरा में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(रतन लाल रेगर)

उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा जिला भीलवाड़ा
बनेडा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि:- डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ मय प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव प्रेषित हो।

उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा जिला भीलवाड़ा
बनेडा (भीलवाड़ा)